पत्रावली पेश हुई। [illegible] पक्षकारगण द्वारा
न्यायिक कार्य स[illegible]/[illegible]कार रखने
से पत्रावली दिनांक [illegible] 2.9.[illegible] को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित, उभयपक्षो में बहस करनी चाहि, उभयपक्षों की बहस सुनी गयी, वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 26.2.21 को पेश हो।

2.3.21 [redacted] पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय [redacted] से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है [redacted] पत्रावली दिनांक 1.3.21 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

3.21 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, वकील प्रार्थिया ने बहस के दौरान अपनी खातेदारी आराजी नं० 3903 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा भूमि मे आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थीगण की आराजी नं० 3919, 3913, 3912 की पश्चिमी मेड़ के सहारे-सहारे 15 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम किये जाने की इस्तदुआ की जब कि अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने जवाब के आधार पर प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने की इस्तदुआ की।
मैने पत्रावली का [illegible] तथा वकील प्रार्थिया एवं [illegible], अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार माण्डल की

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.06.16 12:52:27 IST
Reason: SelfAttested

मौका रिपोर्ट पर अध्ययन किया, जिसमे
बताया गया कि मौके पर कोई रास्ता बंद
नहीं कर रखा है, मौके पर उक्त आराजी नं.
3903 पर पूर्व मे सभी खातेदार आ जा रहे
है, और वर्तमान मे भी आ जा रहे है एवं
प्रार्थिया ने जिस खातेदार से भूमि क्रय की
थी, व इसकी एवज मे आराजी नं. 3903 व
3904/7743 मे से खातेदार ने रास्ता दे रखा
है। प्रार्थिया की आराजी मे आने जाने के लिए
पहले से ही रास्ता विद्यमान है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया अपने
प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे असफल रहने
के कारण प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता
है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर
दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.06.16 12:52:27 IST
Reason: SelfAttested